# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ग्रामनिवासी | जिला दुग्ध

| तारीख हुक्म | 221/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14/12/20 | आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 14/06/2016 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14/07/2020 को प्रस्तुत हुई, जिसमे रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया जाकर बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा मूल अपील की बहस से पूर्व दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया। अत: अभिभाषक पक्षकारान की मूल अपील की बहस से पूर्व दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस समायत की गयी। | |
| | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अपीलार्थी को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05/02/2020 को जब हुई, जबकी माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन निगरानी में आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत हुई तब अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल से ही आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी है। अत: जानकारी की दिनांक से अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जावे। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 02/04/2015 जो अपील संख्या 143/2015 में पारित किया गया कि और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30/09/2010 एवं संशोधित आदेश 11/02/2011 इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके थे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की पुन: सुनवाई कर निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की एकपक्षीय सुनवाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। अत: अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। | |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 221/2020 | ग्रामनिवास / मिला हुक्म 2 | |

अभिभाषक अप्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/06/2016 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिका में स्पष्ट रूप से उभयपक्ष के अभिभाषकगण की उपस्थिति दर्ज है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 25/04/2016 की आदेशिका में भी वकील उभयपक्ष की उपस्थिति दर्ज है , जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश की दिनांक को ही थी मात्र दिनांक 05/02/2020 को जानकारी होने की प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा कहानी बनायी गयी है | इसके अतिरिक्त अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो. ने हमारा ध्यान अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 05/02/2020 को होना अंकित किया गया है जबकी अपील दिनांक 14/07/2020 को प्रस्तुत की गयी है जो जानकारी की दिनांक से भी मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है | अत: प्रार्थी/अपीलार्थी को मियाद के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नही दिया जाना चाहिये एवं अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 05/02/2020 को होना जाहिर किया है जबकी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14/06/2016 में अभिभाषक उभयपक्ष का उपस्थित होना एवं उनकी उपस्थिति में बहस सुनी जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना अंकित है अन्यथा भी यदी किसी कारणवश यह मान भी लिया जावे की प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05/02/2020 को हुई तो इस सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आदेश जैर अपील की नकल प्राप्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 07/02/2020 को ही

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/2020 | रामनिवास / मिश्रा दुग्ध | |

प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसकी नकल उन्हें दिनांक 11/02/2020 को प्राप्त हो गयी थी, इसके पश्चात भी नकल प्राप्ति के लगभग पांच माह पश्चात अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसके विलम्ब के सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र में या दौराने बहस प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसे में अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो. द्वारा दौराने बहस उद्दरित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2017(1) RRT पृष्ठ संख्या 117 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को विलम्ब के स्पष्टीकरण के अभाव की वजह से दफा-5 कानून मियाद का कोई लाभ प्राप्त नही हो सकता। अत: अपील के साथ प्रस्तुत दफा-5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र ख़ारिज किया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना शुमार की जाकर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर